न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी, लालसोट जिला दौसा (राज0)

रेवेन्यु प्रकरण संख्या :— 101 / 2019

रज्जू दिनांक :

पीठासीन अधिकारी

श्री मोहरसिंह मीना (आर.ए.एस.)

बनवारीलाल पुत्र जैला उर्फ जेलाराम जाति रैगर निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा राज0
2. छीतर पुत्र जैला उर्फ जेलाराम जाति रैगर निवासी ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा राज0

(प्रतिवादीगण)

वाद पत्र दुरूस्ती

(अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट)

निर्णय दिनांक : 13-8-22

उपस्थित :— वादी की ओर से श्री हरिनारायण माठा एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री विजय ठाकुरिया एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पैरोकार सरकार

वाद दिनांक 13—08—2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुआ वाद पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 4613 / 816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861 / 855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित है। जिसका वादी का हिस्सा 1 / 2 एवं प्रतिवादी संख्या 2 का हिस्सा 1 / 2 दर्ज राजस्व रिकाड है। वादी अपने हिस्से 1 / 2 पर बहैसियत खातेदार काबिज होकर काश्त कर लगान सरकारी अदा करता चला आ रहा है। उक्त आराजी खसरा नं0 4613 / 816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861 / 855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

लालसोट जिला दौसा की जमाबन्दी में वादी बनवारीलाल का नाम मुरारी दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम बनवारीलाल है। वादी उक्त आराजी 4613/816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861/855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा की जमाबन्दी में अपना नाम मुरारी की जगह बनवारी लाल जरिये दुरूस्ती दर्ज करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादी का नाम समस्त सरकारी रिकार्ड में बनवारीलाल दर्ज है जबकि जमाबन्दी में मुरारी लाल गलत दर्ज हो गया है। राजस्व रिकार्ड एवं सरकारी रिकार्ड दोनो में एकरूपता रखने के लिए आराजी खसरा नं0 4613/816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861/855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में वादी का नाम मुरारी की जगह बनवारीलाल दुरूस्त करवाया जाना न्यायार्थ आवश्यक है। बनवारीलाल उर्फ मुरारी एक ही व्यक्ति है। इसलिए आराजी खसरा नं0 4613/816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861/855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में उक्त दुरूस्ती किया जाना सद्भावना पूर्वक है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 के यहां दिनांक 05-08-2019 को उक्त आराजी वादग्रस्त से वादी का नाम मुरारी की जगह बनवारीलाल दुरूस्त करने का निवेदन किया तो उन्होने दुरूस्ती करने से इन्कार कर दिया एवं श्रीमान् के समक्ष उक्त वाद पेश करने को कहां। जिससे वाद हैतुक पैदा होकर वाद दुरूस्ती पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद दुरूस्ती बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 इस अमर का डिकी फरमाया जावे कि आराजी 4613/816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861/855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम मुरारी की जगह बनवारीलाल दुरूस्त फरमाया जाकर इसी करद राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड करवाया जाकर व तलबी अप्रार्थी जारी की गई। प्रतिवदी संख्या 1 तहसीलदार लालसोट से दुरूस्त इन्द्राज बाबत रिपोर्ट ली गई तथा प्रतिवादी 2 की ओर से श्री विजय ठाकुरिया एडवोकेट ने उपस्थित होकर वाद पत्र का समर्थन किया तथा तहसीलदार रिपोर्ट का भी अवलोकन किया तहसील लालसोट ने अपनी रिपोर्ट मे विवादित आराजी खसरा नं0 4613/816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861/855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नाम

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज०)

मुरारी पुत्र जैला का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर बनवारीलाल पुत्र जैला उर्फ जेलाराम का नाम अंकन किये जाने का अनुतोष चाहा है। इसलिए वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

आराजी वादग्रस्त खसरा नं0 4613/816 रकबा 01 बीघा एवं खसरा नं0 4861/855 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा भूमि वाकै ग्राम डिडवाना तहसील लालसोट जिला दौसा में स्थित कृषि के राजस्व अभिलेख मे दर्ज नाम मुरारी पुत्र जैला का नाम विलोपित कर उसके स्थान पर बनवारीलाल पुत्र जैला उर्फ जेलाराम रैगर नाम राजस्व अभिलेख में अंकन किये जाने हेतू तहसीलदार लालसोट को आदेश दिये जाते है। तद्नुसार तहसीलदार लालसोट को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13/6/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली बाद पूर्ति की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहरसिंह मीना)

उपखण्ड अधिकारी लालसोट

उपखण्ड अधिकारी
लालसोट जिला दौसा (राज.)